आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों हेतु प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के क्या प्रावधान उपलब्ध हैं?

उत्तर : रिक्तियों के संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा यथानिर्धारित व्यवस्था के अन्सार किया जाता है।

प्रश्न 2: क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार किसी परीक्षा/चयन के अंतर्गत सभी पदों/सेवाओं के लिए आवेदन करने के पात्र हैं?

उत्तर : जी हां, बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्ते पूरी कर रहे हों। हालांकि रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा तथा सिम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के संदर्भ में आरक्षण उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न 3: क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आरिक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु तब भी विचार किया जा सकता है यदि उनके पास आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आई एण्ड एसी) उपलब्ध न हों?

उत्तर : जी, नहीं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्ति पर नियुक्त करने के लिए तभी विचार किया जाता है यदि उसके पास मान्य आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आई एण्ड एसी) उपलब्ध हो।

प्रश्न 4: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कितनी छूट प्रदान की जा सकती है?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट लागू नहीं है।

प्रश्न 5: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत कितने अवसर उपलब्ध हैं?

उत्तर : छः (६), अनारिक्षत/सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भांति लागू होने वाले अवसरों के समान।

प्रश्न 6: क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क देना होता है?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क का भ्गतान देना होता है।

प्रश्न 7: अपनी मेरिट पर चयनित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित रिक्ति के प्रति समायोजित किया जाता है या अनारक्षित रिक्ति के प्रति?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन अपनी श्रेणी के अंतर्गत लागू छूटों या शिथिलताओं की सुविधा का लाभ लिए बिना हुआ हो, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के प्रति अनुशंसित किया जाता है। परंतु, यदि चयन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में चयन के मानकों के मामले में कोई भी छूट या शिथिलता प्रदान की गई हो, तो ऐसे उम्मीदवारों को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षित रिक्ति के प्रति ही नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न 8: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में चयन के मानकों में कौन-कौन सी छूटें तथा शिथिलताएं लागू हैं?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, अनारिक्षत श्रेणी के लिए अपनाए गए चयन मानकों की त्लना में चयन के शिथिल मानकों हेत् पात्र हैं।

प्रश्न 9: क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति है?

उत्तर : यदि किसी उम्मीदवार ने आयोग की किसी परीक्षा के आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी को अनारिक्षत/सामान्य श्रेणी बताया है, परंतु बाद में वह आयोग को यह अनुरोध करता है कि वह अपनी श्रेणी को आरिक्षित श्रेणियों में किसी श्रेणी, अर्थात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बदलना चाहता है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग विचार नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी उम्मीदवार ने किसी आरिक्षित श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का चयन किया है तो दूसरी आरिक्षित श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी परिवर्तन के संबंध में किसी भी अन्रोध पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रश्न 10: क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में इस बात की अनुमित है कि वे अपनी श्रेणी को बदल कर अनारक्षित/सामान्य श्रेणी कर सकें?

उत्तर : जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य उम्मीदवारों को यह अनुमित नहीं होगी कि वे अपनी श्रेणी में परिवर्तन कर उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अनारिक्षित सामान्य बना सकें या अनारिक्षित/सामान्य श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के लिए दावा कर सकें।

प्रश्न 11: यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हुए किसी उम्मीदवार से कोई गलती हो जाए तो इसके स्धार की दिशा में अगला कदम क्या होगा?

उत्तर : ऐसे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र का लिंक सक्रिय हो तो वह नया आवेदन पत्र भरे।

प्रश्न 12: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का दावा करने के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों द्वारा किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए?

उत्तर : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण/शिथिलता का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे सरकार द्वारा जारी परीक्षा नियमों/ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परीक्षा नोटिस के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसा आरक्षण/शिथिलता प्राप्त करने के पात्र हैं।

प्रश्न 13: आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) का निर्धारित प्रारूप कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

उत्तर : निर्धारित प्रारूप आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर "फॉर्म एवं डाउनलोड" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है। उम्मीदवार अपेक्षित प्रारूप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 14: आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?

उत्तर : आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी दवारा जारी किया जा सकता है:

- (क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडिशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।
- (ख) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (ग) राजस्व अधिकारी, जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (घ) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर(उप खंड अधिकारी) जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता हो।
- (इ.) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता।

प्रश्न 15: किस वित्त वर्ष की आय के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) जारी किया जाता है ?

उत्तर : आय एवं परिसंपति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा जमा किया जाने वाला प्रमाण पत्र) आवेदन करने के वर्ष से पूर्व के वितीय वर्ष की आय के आधार पर होना चाहिए।

उदाहरण: यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31.03.2021 है, तो आरक्षण का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवार के पास निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) की तारीख वर्ष 2019-20 के वितीय वर्ष की आय के आधार पर 30.03.2021 या इससे पहले की होनी चाहिए।

प्रश्न 16: आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) को स्वीकार किए जाने की कट-ऑफ तारीख क्या है?

उत्तर : आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले की तारीख या संबंधित परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना में यथानिर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण : यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31.03.2021 है, तो आरक्षण का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ अपने दावे के समर्थन में उम्मीदवार के पास निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) की तारीख 30.03.2021 या इससे पहले की होनी चाहिए।

प्रश्न 17: उम्मीदवार से संबंधित व्यक्तिगत विवरण कैसे तय किया जाता है?

उत्तर : आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) पर उम्मीदवार का नाम तथा उसके पिता का नाम वही होना चाहिए, जो मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र पर उल्लिखित है। हालांकि, मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र पर यदि उम्मीदवार/पिता के नाम का उल्लेख नहीं है तो पिता का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे एचएससी प्रमाण पत्र, डिग्री, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि में दिए अनुसार होना चाहिए और उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में भी अपने पिता का यही नाम लिखना चाहिए।

प्रश्न 18: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में किन-किन बातों की जांच कर लेनी चाहिए?

उत्तर : किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे अर्हता की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इन शर्तों से संबंधित विवरण निम्नान्सार है:

(i) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले की तारीख या संबंधित परीक्षा के लिए जारी अधिसूचना में यथानिर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार होना चाहिए।

- (ii) आय एवं परिसंपति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।
- (iii) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) सक्षम प्राधिकारी दवारा जारी किया होना चाहिए।
- (iv) आय एवं परिसंपित प्रमाण पत्र (आईएण्डएसी) पर जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर/मोहर/कार्यालय सील होनी चाहिए। हालांकि, डिजिटल प्रमाण पत्र के मामले में, यदि उक्त अनिवार्यता, अर्थात् फिजिकल हस्ताक्षर/मोहर/कार्यालय सील में से किसी अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में कोई उद्घोषणा की गई हो और इसका उल्लेख प्रमाण पत्र पर किया गया हो तो ऐसे मामलों में उद्घोषणा की सीमा तक छूट प्रदान की जाएगी।
- (v) उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण मैट्रिकुलेशन/स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र, समतुल्य प्रमाण पत्र आदि के अनुसार होना चाहिए।
- (vi) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएण्डएसी) में संगत वितीय वर्ष जिसके आधार पर आईएण्डएसी को जारी किया गया है होना चाहिए। वितीय वर्ष वही होना चाहिए जो संबंधित परीक्षा की नियमावली में निर्धारित है।

प्रश्न 19: किसी भी परीक्षा के किस चरण में उम्मीदवारों को आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएण्डएसी) जमा/प्रस्तुत करना होता है?

उत्तर : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपना आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएण्डएसी) जमा/प्रस्तुत नहीं करना होता है। हालांकि उन्हें इन प्रमाण पत्रों के विवरण का उल्लेख करना होता है। प्रधान परीक्षा (सिविल सेवा परीक्षा के मामले में) के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद उम्मीदवारों को अपने विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) के साथ अपने आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएण्डएसी) की प्रति को अपलोड करना पड़ता है। व्यक्तित्व परीक्षण(साक्षात्कार) के लिए अर्हक हुए उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (आईएण्डएसी) की मूल प्रति दिखानी होती है।

नोट : उपर्युक्त 'प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों' (एफएक्यू) के उत्तर, आयोग की परीक्षाओं के मौजूदा नियमों/ सरकार के संगत अनुदेशों के आधार पर तैयार किए गए हैं। अतः, इन परीक्षा नियमों/सरकार के अनुदेशों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन उत्तरों में भी परिवर्तन हो सकता है। उक्त परीक्षा नियमों/सरकार के संगत अनुदेशों तथा एफएक्यू में किसी भी कारण से किसी अंतर की स्थिति में परीक्षा नियम/सरकार के संगत अनुदेश मान्य होंगे।
